न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 44 / 2014

उनवान

1. लादू पिता छोगा बैरवा निवासी बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मु0 विष्णु पुत्री हजारी बैरवा निवासी बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट / प्रार्थीया

2. शंकर पिता हजारी बैरवा निवासी बावडी तहसील माण्डल
3. गोपी पिता हजारी बैरवा निवासी बावडी तहसील माण्डल
4. फतेह लाल पिता हजारी बैरवा निवासी बावडी तहसील माण्डल
5. श्रीमती हंजा बेवा हजारी बैरवा निवासी बावडी तहसील माण्डल
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 349 / 2012 निर्णय दिनांक 22.3.2013

अभिभाषक : 1. श्री दिनेश सिसोदिया ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अब्दुल रसीद पठान, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 10.4.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लगायत 5 हिन्दु विधि से शासित होकर प्रार्थीया एंव विपक्षीगण का सजरा निम्न प्रकार है :—

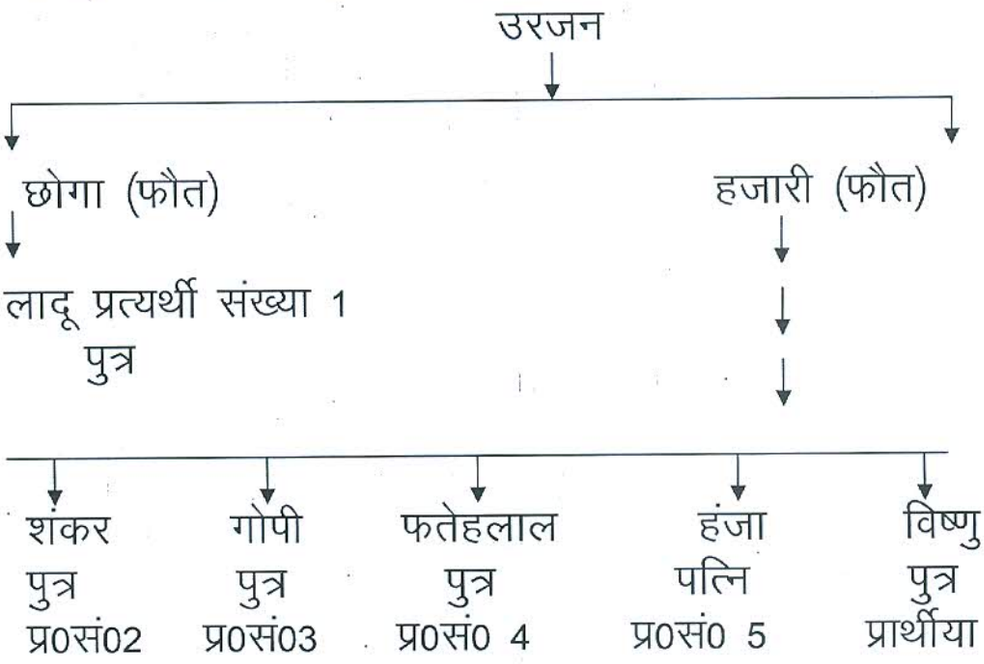

2. प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी आराजियात ग्राम बावडी पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में स्थित है जिसके खाता संख्या 315 व पुराना 306 में निम्न आराजियात स्थित है ।

आराजी नम्बर	रकबा	
	बीघा	बिस्वा
146	—	09 बिस्वा
152	—	16 बिस्वा
153	—	10 बिस्वा
154	—	15 बिस्वा
156	—	18 बिस्वा
374	1 बीघा	04 बिस्वा
578	1 बीघा	—

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

579	2 बीघा	15 बिस्वा
580	—	04 बिस्वा
581	—	16 बिस्वा
582	1 बीघा	18 बिस्वा
583	—	15
कुल कौता 12	कुल रकबा 12 बीघा	

वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होकर उरजन जी के समय की है प्रार्थीया हजारी जी की पुत्री है। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम पर दर्ज है। विपक्षी संख्या 2 से 4 स्व0 हजारी के पुत्र/पुत्री तथा विपक्षी संख्या 05 हजारी जी की पत्नि है। प्रार्थीया हजारी जी की जायन्दा पुत्री होने से तथा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है। उपरोक्त आराजियात संयुक्त हिन्दु परिवार की होकर पुश्तैनी आराजियात है जिसमें सभी पक्षकारों का कब्जा चला आ रहा हैं । वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नहीं हो रखा है। विपक्षी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त आराजियात को अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर विक्रय करने पर आमादा है। जबकि वादिया अपने हक हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात को विपक्षीगण विक्रय नहीं करें एवं प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नही करने बाबत मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था जिस वजह से अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी थी। जानकारी होने पर अवलिम्ब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी/विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये जिसकी प्रोपर तामिल नहीं कराई गई। नोटिस चस्पानगी की गई है उस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशित नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तामिल को अपर्याप्त मानते हुए दिनांक 18.12.2012 को आदेशिका में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी को पुनः

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाण्ट/विपक्षी के नोटिस तलवाना आदि पेश करने का आदेश देते हुए पत्रावली वास्ते तलबी नियत की गई । जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी द्वारा नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये। उसके बावजूद अपीलाण्ट/विपक्षी की तामिल नही होते हुए भी एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने अपीलाण्ट/विपक्षीगण के नोटिस पुनः प्रस्तुत नहीं किये तो ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 2 के तहत वाद को ही खारिज किया जाना चाहिये था।

7. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजयात में अपीलाण्ट/विपक्षी सहखातेदार काश्तकार है जिसका विवादित आराजियात में 1/2 हक व हिस्सा निहित होकर उसी अनुसार वह अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीया का अपीलाण्ट/विपक्षी के हक हिस्से की आराजियात में से कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती है। चूंकि अपीलाण्ट/विपक्षी के पिता छोगा एवं रेस्पोडेण्ट प्रार्थीया व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 के पिता हजारी जी दोनो सगे भाई थे। हजारी व छोगा मृतक उरजन के पुत्र होकर सगे भाई है इस प्रकार प्रार्थीया/रेस्पोडेण्ट का विवाद मात्र अपने भाईयों एवं बहिनों से है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में विचार नहीं कर विपक्षी संख्या 2 से 5 के साथ–साथ अपीलाण्ट/विपक्षी को भी अपीलाधीन निर्णय से पाबन्द कर दिया जो कतई न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अपीलाण्ट/विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी/प्रार्थी का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/विपक्षी को नोटिस जारी किया गया । अपीलाण्ट/विपक्षी ने नोटिस लेने से मना किया था जिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस की चस्पानगी दो मौतबिरों के समक्ष की गई थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाण्ट/विपक्षी पर नोटिस की तामिल प्रोपर नहीं हुई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहवन से प्रत्यर्थी/प्रार्थीया को भी अनुपस्थित बता दिया गया । चूंकि वादग्रस्त पुश्तैनी है जो राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है ऐसी स्थिति में जब तक प्रत्यर्थी/प्रार्थीया के हक हिस्से का निर्धारण नही हो जाता तब तक के अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है वह विधिसम्मत है। अतःअपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होकर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीया हजारी की पुत्री है । अपीलाण्ट/विपक्षी संख्या 1 प्रकरण में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीया के काका हैं। मूल पुरूष उरजन के दो पुत्र छोगा एवं हजारी है। छोगा के पुत्र अपीलाण्ट/विपक्षी हैं एवं हजारी के वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के भाई बहन व पत्नि है। चूंकि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में सहखातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/विपक्षी को नोटिस की प्रोपर तामिल भी नहीं हुई थी। तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस चस्पानगी नहीं करने देना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में चस्पानगी से तामिल नहीं मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी को दिनांक 18.12.2012 को पुनः नोटिस प्रस्तुत करने हेतु भी आदेशित किया गया था। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी द्वारा पुनः नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये उसके बावजूद अपीलाण्ट/विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। साथ ही अपीलाण्ट से हक हिस्से में से प्रार्थीया द्वारा अधिकार भी चाहा गया है ।

11. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.3.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विपक्षीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत निर्णय पारित करे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.6.18 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 10.4.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । 10/4/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा